न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 26/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. नरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र सोनीराम जाति ब्राहमण निवासी तेलीपाडा कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. नगेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मुनेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अग्रसेन नगर भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायव तहसीलदार भुसावर दिनांक 23.08.2010 बाबत नामान्तरकरण संख्या 5535 वाकै ग्राम भुसावर प्रथम तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 13.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायव तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 23.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार भुसावर दिनांक 23.08.2010 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। नामान्तरकरण में दर्ज खजानसिह का हिस्सा अपीलान्टस ने क्रय कर लिया है अब उसका कोई हित विवादित भूमि में नहीं रहा है इसलिये उसे पक्षकार नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण दिनांक 28.07.2010 की विवादित भूमि किसी भी बैक में रहन नहीं थी और न ही नामान्तरकरण संख्या के खाना संख्या 7 में इस

प्रकार के इन्द्राजात थे तथा नामान्तरकरण सही स्वीकार हुआ था। इसके बाद दिनांक 23.08.2010 को ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं थी जिसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण के पुनरावलोकन की आवश्यकता हो इसके अलावा प्रभावित व्यक्ति अपीलान्टान को कोई नोटिस नहीं दिया गया व एकतरफा में ही अपीलान्टान की बैक पर अपीइलान्टान के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण को अस्वीकृत कर दिया है। जब एक बार नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है तो इसके बाद अस्वीकृत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आदेश अवैधानिक व काबिल खारिजी है। नामान्तरकरण स्वीकृत होने के बाद उसे रिव्यू करने का कोई प्रावधान नहीं है। आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर एवं वॉइड है। नामान्तरकरण अस्वीकृत एकतरफा में अपीलान्टान को सुने बिना, नोटिस दिये बिना बैक पर किया है। जिसका पता अपीलान्ट को नही था। दिनांक 17.04.2017 को अपीलान्ट पटवारी से रिकार्ड देखने गये तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। अपील जानकारी के दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी सहूलियत की दृष्टि से धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना विस्तृत विवेचन के साथ पृथक से पेश है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2010 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भुसावर से प्राप्त रिकार्ड की छायाप्रति प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के परन्तुक (i) किसी भी आदेश में तब तक फेरफार नहीं किया जायेगा या उसे उलटा नहीं जायेगा, जब तक हितबद्ध पक्षकारों को उपस्थित और आदेश के समर्थन में सुने जाने का पक्षकारों को नोटिस नहीं दे दिया गया हो। परन्तुक (iii) प्राईवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार के किसी प्रश्न को प्रमाणित करने वाला कोई भी आदेश, कार्यवाहियों के किसी भी पक्षकार के आवेदन पत्र के बिना, पुनर्विलोकित नहीं किया जायेगा, और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिये कोई भी आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसा आवेदन पत्र उस आदेश के पारित होने के नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन रिव्यू आदेश दिनांक 23.08.2010 निरस्त फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2010 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2010 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 5535 का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार/नायब तहसीलदार भुसावर द्वारा दिनांक 28.07.2010 को नामान्तरकरण स्वीकार किया है तथा दिनांक 23.08.2010 को उक्त नामान्तरकरण को रिव्यू किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 5535 को अस्वीकृत किया है। पत्रावली के अवलोकन पर कही भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण को रिव्यू किये जाने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों का सुना गया हो जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के परन्तुक (i) के अनुसार हितबद्ध पक्षकरों को नोटिस जारी किया जाकर सुनना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार/नायब तहसीलदार भुसावर का रिव्यू आदेश दिनांक 23.08.2010 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार भुसावर को प्रकरण रिमान्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर